एग्री आर्टिकल्स
(कृषि लेखों के लिए ई-पत्रिका)
वर्ष: 02, अंक: 05 (सितम्बर-अक्टूबर, 2022)
www.agriarticles.com पर ऑनलाइन उपलब्ध
© एग्री आर्टिकल्स, आई. एस. एस. एन.: 2582-9882

भारतीय कृषि में कृषक उत्पादक संगठन क्यों और कैसे किसान हितैषी

(*ऋषभ कुमार मौर्या[1], आर.एन.यादव[1], हिमांशु पाण्डेय[2] एवं प्रियंका वाविलाला[1])

[1]सरदार बल्लभाई पटेल कृषि एवं प्रौधोगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश

[2]भाकृअनुप-भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

*संवादी लेखक का ईमेल पता: mauryarishabh574@gmail.com

एकता में बड़ी शक्ति होती हैं. आप ने इस कहानी को जरूर सुना होगा कि पाँच लकड़ी के गठ्ठर को कोई अकेला नहीं तोड़ पाता हैं क्योंकि उनमें एकता थी. जब वो अलग होते है तो उन्हें आसानी से तोड़ा जा सकता हैं. एकता की शक्ति को पहचाने और इसे अपने व्यवहारिक जीवन में उपयोग करें। भारतीय कृषि की पहचान सीमान्त और लघु कृषक से होती है । लगभग 85 प्रतिशत भूमि पर सीमान्त और लघु कृषक ही कृषि करते है और इन कृषको की सबसे प्रमुख समस्या फसलों की उचित दर न मिल पाना है। प्रश्न कई सारे है, जैसे - "कैसे सीमान्त और लघु किसानो को मुख्य धारा से जोड़ा जाए" "कैसे ये किसान भाई अपने उपज या उत्पादों की उचित दर पा सके" इत्यादि इन सभी प्रश्नो को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने कृषि उत्पादक संगठन की स्थापना की ।

कृषि उत्पादक संगठन (एफपीओ) क्या है?

सरल भाषा में इसे समझे तो, कृषि उत्पादक संगठन किसानो का समूह है जिसको कंपनी के रूप में किसान दर्ज कराते है। कंपनी के रूप में दर्ज होने के साथ ही इसके बहुत सारे आयाम खुल जाते है। किसान जब समूह बना कर जुड़ जाते है तो वह अपने उत्पादों पर आसानी से मोल भाव कर सकते है, संगठित होने के कारण अपनी शर्ते और सुदृढ़ तरीके से रख सकते है और मनवा भी सके है। बैंक से लोन लेना या माईक्रोफिनान्सिंग में भी किसानो को कृषि उत्पादक संगठन से जुड़े होने का लाभ बराबर मिलता है। समूह में लोन लेने के कारण यहाँ भी किसान अपनी शर्ते आसानी से रख सकता है। जैसा का हमने बताया अपने उपज एवं उत्पादों के उचित दाम का न मिल पाना ज्यादा तर किसानो की समस्या है। कृषि उत्पाद संगठन

के माध्यम से लोकल कंपनी या बड़ी कंपनी से किसान पहले से अनुबंध कर सकते है और अपने उत्पादों की उचित दर पा सकते है। अगर अकेला किसान अपनी पैदावार बेचने जाता है, तो उसका मुनाफा बिचौलियों को मिलता है। एफपीओ सिस्टम में किसान को उसके उत्पाद के भाव अच्छे मिलते हैं, क्योंकि यहां बिचौलिए नहीं होंगे। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के मुताबिक ये 10,000 नए एफपीओ 2019-20 से लेकर 2023-24 तक बनाए जाएंगे। इससे किसानों की सामूहिक शक्ति बढ़ेगी।

एफपीओ कैसे बनाये?

1. देश का कोई भी किसान FPO समूह का सदस्य बन सकेगा|
2. एफपीओ संगठन में 10 लाख वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी|
3. एक संगठन को तैयार करने में न्यूनतम 10 किसानो का होना जरूरी है|
4. एक संगठन में अधिकतम 1000 किसानो को ही जोड़ा जा सकेगा|
5. एक हजार किसान समूह वाले संगठन का प्रत्येक किसान एक हजार रूपए देकर दस लाख के वर्किंग कैपिटल को जुटा सकेगा|
6. किसानो को FPO में आवेदन कराने के लिए कुछ शुल्क देना होता है|

पंजीकरण विधि:

1. सर्वप्रथम आपको FPO की आधिकारिक वेबसाइट http://www.upagriculture.com पर जाना होगा|
2. आपके सामने वेबसाइट का Home Page खुल कर आ जायेगा|
3. इस होम पेज में आपको ऑनलाइन पंजीकरण के लिंक पर क्लिक करना होगा|
4. आपके सामने एक फॉर्म खुल कर आ जायेगा|
5. इस फॉर्म में आपको पूछी गई सभी जानकारियों को ठीक-ठीक भरना होगा|
6. फॉर्म को ठीक तरह से भरने के बाद आपको Submit बटन पर क्लिक करना होगा|
7. इस तरह से FPO में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते है|

प्रमुख बाते:

- एफपीओ और एफपीसी में भिन्नता: दोनों में केवल पंजीकरण का अंतर है. एफपी कोआपरेटिव सोसाइटी एक्ट और एफपीसी कंपनी एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत होता है ।
- एफपीओ को सहयोग कौन करता है: नाबार्ड , SFAC , सरकार , देशी और विदेशी संस्थाएं।